

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2335]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936

No. 2335]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2910(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (4) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. 889(अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2001 तथा इस संबंध में अन्य सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई वस्तुओं को छोड़कर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि अपर आयकर आयुक्त या संयुक्त आयकर आयुक्त प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों अथवा आय या आय के वर्गों अथवा मामलों या मामलों के वर्गों, जिनके संबंध में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अथवा मुख्य आयकर आयुक्त अथवा आयकर महानिदेशक अथवा प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 22.10.2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2752(अ), दिनांक 22.10.2014 की का.आ. 2753(अ), दिनांक 22.10.2014 की का.आ. 2754(अ), दिनांक 22.10.2014 की का.आ. 2755(अ), दिनांक 22.10.2014 की का.आ. 2756(अ), दिनांक 3.11.2014 की का.आ. 2814(अ), दिनांक 30.10.2014 की का.आ. 2793(अ), दिनांक 12.11.2014 की का.आ. 2885(अ), का.आ. 2915(अ), दिनांक 13.11.2014, के तहत ऐसे अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को प्राधिकृत किया गया है, कर निर्धारण अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों को करेंगे।

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 64/2014/फा. सं. 187/40/2014 (आ.क.नि.-I)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक